(1)

64

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी निग 3051-II/16

श्री ब्रजेन्द्र सिंह चौहान द्वारा आज दि. 05-09-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1- कोमल सिंह पुत्र श्री पन्नूराम,
2- भगवान सिंह पुत्र श्री पन्नूराम,
3- नरेन्द्र (नाबालिग) उम्र 15 वर्ष,
4- अशोक (नाबालिग) उम्र 17 वर्ष,
पुत्रगण सरपरस्त पिता श्री कोमलसिंह,
निवासीगण - ग्राम सोन्हर मजरा धर्मपुर,
तहसील नरवर, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

-- आवेदकगण

5/9/2016

ब्रजेन्द्र सिंह चौहान
05/09/16

बनाम

1- निर्जेश पुत्र श्री मंगलिया,
2- पातीराम पुत्र श्री मंगलिया,
3- जसमन्त पुत्र श्री मंगलिया,
4- माखन सिंह पुत्र श्री मंगलिया,
निवासीगण - ग्राम सोन्हर मजरा धर्मपुर,
तहसील नरवर, जिला शिवपुरी (म0प्र0)
5- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला - शिवपुरी (म0प्र0)

-- अनावेदकगण

<u>निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता,1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.08.2016 पारित न्यायालय नायब तहसीलदार नरवर, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 29/2015-16/अ-70</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यहकि, आवेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूमि सर्वे नम्बर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3051–एक/2016 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
16–9–2016	आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार नरवर के प्रकरण कमांक 29/2015–16/अ–70 में पारित आदेश दिनांक 12–8–16 के विरूद्ध इस न्यायालय प्रस्तुत की गई है। 2/ अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश एवं प्रकरण में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। अनावेदक द्वारा सीमांकन के पश्चात संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही हेतु आवेदन पेश किया। तहसीलदार के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 12–8–16 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाव की प्रति आवेदक को उपलब्ध कराने के उपरांत पटवारी ग्राम को मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देश दिये हैं। तहसीलदार द्वारा पारित किये प्रश्नाधीन आदेश में ऐसी कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती है जिससे आवेदकगण का व्यथित होना परिलक्षित हो। आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर तहसीलदार के समक्ष उपलब्ध है। दर्शित परिस्थितियों में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	